JALAUN POLICE

दिनांक – 10.09.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था ।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन **तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में मान0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का कारावास एवं 50,000-50,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।**

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण – **वादी तालिव पुत्र छोटे खां नि0ग्राम पहलवान वाडा कोतवाली जालौन जनपद जालौन को पिकअप से जाते समय रास्ते में अभियुक्तगण 01. सचिन पुत्र गनेशीलाल नि0ग्राम मुरली मनोहर कोतवाली जालौन 2. करुणेन्द्र सिंह पुत्र राघवेन्द्र सिंह निवासी मो0 रामनगर अजनारी रोड कोतवाली उरई जनपद जालौन द्वारा पिकअप को रोकर अपने आप को S.O. व S.O.G का इंचार्ज बताकर पांच लाख रुपये की मांग करना रुपये देने से मना करने पर मारपीट कर, गाली गलौज करना व जान से मारने की धमकी देते हुए अपहरण करके वादी के जेब से रुपये व फोन छीन लेना ।**

वादी की तहरीर के आधार पर दिनांक 24.06.2019 को कोतवाली उरई में मु0अ0सं0 696/19(वाद संख्या 31/19) धारा 387/364/392/420/411/504/506 भादवि पंजीकृत हुआ था । अभियुक्तगण को दिनांक 24.06.2019 को गिरफ्तार कर मान0 न्यायालय भेजा गया था । विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 08.07.2019 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था ।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 10.09.2025 को मा0 न्यायालय स्पेशल जज डकैती कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण सचिन व करुणेन्द्र को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष का कारावास एवं 50,000-50,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।